



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)
Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

पत्र संख्या :- 271/संका०/2021

दिनांक-27.03.2021

सर्वसाधारण सूचना

कुलपति जी के आदेश दिनांक 17.03.2021 के अनुपालन में जी०सी०आई० भवन के मरम्मत कम्पोस्ट मशीन लगाये जाने तथा कम्पोस्ट खाद तैयार करने के स्थल पर चार सागौन के वृक्ष काटकर हटाये जाने हैं। उक्त वृक्षों का मूल्यांकन प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, गोरखपुर के द्वारा किया गया है। जिसकी विक्री नीलामी के माध्यम से की जायेगी। नीलामी के उपरान्त वृक्षों के कटवाने एवं उत्पादित प्रकोष्ठ/जलौनी को ले जाने हेतु क्रेता को नियमानुसार कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी से पातन परमिट एवं अभिवहन पास प्राप्त करना होगा। नियमानुसार नीलामी से सम्बन्धित समस्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ddugu.ac.in पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना सम्पत्ति कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

1. प्रो० विनय कुमार सिंह, प्रभारी ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लोड कराने का कष्ट करें।
2. वित्त अधिकारी।
3. प्रभारी, कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के अवलोनार्थ।
4. वै० सहायक कुलसचिव।
5. सम्पत्ति अधिकारी
6. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव



वृक्ष नीलामी की नियम एवं शर्तें

1. वृक्ष की नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 03.04.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को लेखा विभाग से रु० 600/- (छः सौ रुपये मात्र)(500+100) की रसीद कटवानी अनिवार्य होगी अथवा विश्वविद्यालय की वेवसाइट से नियम एवं शर्तें डाउन लोड करने की दशा में रु० 600/- (रु० छः सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा, जो कमेटी कक्ष में दिनांक 03.04.2021 को 3.00 बजे जमा करना होगा। यह धनराशि वापस देय नहीं हांगी।
3. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को रु० 10,000/- (रु० दस हजार) नगद दिनांक 03.04.2021 को 03.00 बजे कमेटी कक्ष में जमा करना होगा।
4. क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित शर्तें पूरा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे।
5. नीलामी के उपरान्त नीलामी में आये उच्चतम बोली के व्यक्ति को छोड़कर शेष व्यक्तियों का रु० 10,000/- (रु० दस हजार) कमेटी कक्ष में ही वापस कर दिया जायेगा।
6. नीलामी में उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को उच्चतम बोली का 25% तत्काल जमा करना होगा।
7. उच्च बोली वाले व्यक्ति को 07 दिन के अन्दर नीलामी का पूरा पैसा विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करके एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर से वृक्षों की कटान परमिट अधिवहन पास लेकर वृक्षों को हटवाना अनिवार्य होगा।
8. वृक्षों के ले जाने में यदि कोई विश्वविद्यालय की क्षति होती है तो क्रेता को उसकी भरपाई करनी होगी।
9. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय मान्य होगा।
10. प्रार्थी को उपर्युक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 9 तक की सभी शर्तें मान्य हैं।

प्रार्थी

नाम.....

पता.....

.....